

रीडर

28/11/17

पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उप. नहीं
है। पत्रावली का अन्वय किया गया। वकील
सायल ने वर्ष 2015 से लक्ष्मी नहीं कराई
है। अतः सायल का प्रा-पत्र 7-2 लक्ष्मी
के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली
केवल भूमि लॉकर का लक्ष्मी का फल
शारिखल की जावे।

04 जिला कलेक्टर
बामनवास (जिला-सोमा)

